(129)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/07/2020/एस.1/129 **दिनांकः 03.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय ने आदेश सं. 40–3/2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 29.04.2020 और 01.05.2020 के द्वारा विभिन्न स्थानों पर रोके गए लोगों की आवाजाही के संबंध में दिशा–निर्देश/निदेश जारी किए हैं।

और जबकि, आदेश सं. एफ.2/07/2020/एस–I/122 दिनांक 01.05.2020 के द्वारा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं, दिल्ली पुलिस के नोडल अधिकारी और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के साथ संपर्क करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं, जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र और दिल्ली से, जैसा भी मामला हो, फंसे हुए व्यक्तियों की सुगम तथा नियमानुसार आवाजाही के लिए जिम्मेदार होंगे।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित को समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों में शामिल किया जाएः

व्यक्तियों की आवाजाही के लिए खंड 17 के तहत उप–खंड (iv) :

iv. लॉकडाउन के कारण, प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं. उन्हें संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में दी गई शर्तों के अनुसार जाने की अनुमति दी जाएगी।

रेलगाड़ियों द्वारा लोगों को भेजे जाने के लिए खंड 17 के तहत उप–खंड (v) :

v. विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों को रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा संचालित की जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों द्वारा भेजे जाने की अनुमति दी जाएगी. उनकी आवाजाही के लिए रेल मंत्री राज्योंध्संघ शासित क्षेत्रों से समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे. टिकटों की बिक्री के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे, और रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों तथा रेलगाड़ियों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा।

आगे यह आदेश दिए जाते हैं कि आदेश सं. एफ.2/07/2020/एस–1/122 दिनांक 01.05.2020 के क्रम में, दिल्ली के सभी जिलाधिकारी प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों तथा अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के व्यक्तियों, जो दिल्ली में फंसे हुए हैं तथा अपने संबद्ध मूल स्थानों को लौटना चाहते हैं, का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए पर्यवेक्षण करेंगे। इस उद्देश्यार्थ, संबंधित जिलों के अपर जिलाधिकारी और और उनके समकक्ष अपर पुलिस उपायुक्तों को जिला नोड अधिकारी नामित किया जाता है, जो ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों का पंजीकरण करेंगे तथा सीईओ, डीयूएसआईबी द्वारा विकसित की जाने वाली वेब आधारित/ऑनलाइन एप्लीकेशन में विवरण एकत्र करके उनका डेटाबेस तैयार करेंगे. श्री गोपाल मोहन, सदस्य, डीसीसी, दिल्ली और श्री संदीप जैन, वैज्ञानिक, एनआईसी, दिल्ली इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. श्री पी0के0 गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस।
4. सेवा विभाग के दिनांक 15.4.2020 के आदेश सं0 140 द्वारा नियुक्त समस्त नोडल अधिकारी।
5. प्रधान सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. प्रबंध निदेशक, डीटीटीडीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीयूएसआईबी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. समस्त जिला उपायुक्त, पुलिस को अपर उपायुक्त पुलिस को निर्देशों के पर्यवेक्षण एवं सूचना हेतु।
13. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
14. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
15. श्री गोपाल मोहन, सदस्य, डीडीएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
16. श्री संदीप जैन, वैज्ञानिक, एनआईसी, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त रेजीटेंड कमीशनर।
11. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फंसे लोगों के अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली से बाहर जाने तथा वहां से आने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया :

क) दिल्ली के समस्त जिलाधिकारी प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यध्संघ शासित क्षेत्रों के व्यक्तियों, जो दिल्ली में फंसे हुए हैं तथा अपने संबद्ध मूल स्थानों को लौटना चाहते हैं, का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए पर्यवेक्षण करेंगे. इस उद्देश्यार्थ, संबंधित जिलों के अपर जिलाधिकारी और और उनके समकक्ष अपर पुलिस उपायुक्तों को जिला नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों का पंजीकरण करेंगे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रत्येक राज्यध्संघ शासित क्षेत्र से सम्पर्क रखने तथा समस्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के रेजिडेंट कमीशनरों से समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं. उक्त नोडल अधिकारी (प्रतिलिपि संलग्न) सौंपे गए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे.

बी) श्री पी. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (मो.: 08130698285) को दिल्ली राज्य का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, वे दिल्ली से बाहर के व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उपरोक्त नोडल अधिकारियों और रेजिडेंट कमिनशनरों से समन्वयन बनाए रखेंगे, जैसा कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों (प्रतिलिपि संलग्न) के खंड 17 के तहत उप–खंड (पअ) में स्पष्ट किया गया है. रेजिडेंट कमिशनरों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में समस्त अपेक्षित सहायता/मदद तथा जानकारी उपलब्ध कराएं।

ख) श्री मुकेश चन्द्र, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली (मो.: 09818099010) को दिल्ली पुलिस का नोड अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो दिल्ली से संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जाने वाले तथा अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दिल्ली आने वाले व्यक्तियों की आवाजाही के बारे में, जैसा भी मामला हो, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के नोडल अधिकारी को हर तरह की मदद, सहायता और पुलिस विभाग से संबंधित अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे।

ग) श्री पी. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के रेजिडेंट कमिशनरों के साथ संपर्क कायम रखेंगे और भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इस संबंध में दिल्ली से संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जाने वाले व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में उनसे विशेष अनुरोध मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

घ) प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली से जाने वालों के लिए अनुमति देने के लिए व्यवस्थाएं करेंगे।

ङ) व्यक्तियों के समूहों के परिवहन के लिए बसों का उपयोग किया जाएगा. बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और उनमें बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा. आयुक्त (परिवहन), प्रबंध निदेशक (दिपनि) और प्रबंध निदेशक (डीटीटीडीसी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज्य के नोडल अधिकारी से इस संबंध में समन्वय बनाए रखेंगे और लोगों को उनके स्थानों से ले जाने के लिए अपेक्षित संख्या में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, अंतर्राज्यीय सीमाओं के निर्धारित स्थलों पर बसों की व्यवस्था करेंगे, जिस संबंध में राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों के रेजिडेंट कमिशनरों से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

च) विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों को रेल मंत्रालय (डव्द) द्वारा संचालित की जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों द्वारा भेजे जाने की अनुमति दी जाएगी. उनकी आवाजाही के लिए रेल मंत्री राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे. टिकटों की बिक्री के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगेय और रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों तथा रेलगाड़ियों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा।

छ) ऐसे सभी व्यक्ति जो अपनी स्वयम की व्यवस्था से यात्रा करना चाहते हों, वे संबंधित जिलाधिकारियों से एक ट्रांजिट पास जारी करवा कर यात्रा कर सकते हैं।

ज) संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को ले जाने के लिए दिल्ली के पूर्व–निर्धारित टर्मिनलों/स्थानों पर उपयुक्त संख्या में बसों की व्यवस्था करेंगे. बसों को सेनिटाइज किया जाएगा और बैठाने के लिए सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।

झ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जाते समय, ऐसे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपने स्वास्थ्य की जानकारी पर नजर रख सकेंगे तथा पता कर सकेंगे।

बी. अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से दिल्ली में आने के लिए :

क) राज्य के नोडल अधिकारी अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समन्वय बने रखेंगे ताकि वहां फंसे दिल्ली के निवासियों का पता लग सके और ऐसे व्यक्तियों उनका इच्छा जानेंगे ताकि उन्हें ऐसे अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से दिल्ली लाने की अनुमति दी जा सके. वहां फंसे दिल्ली के निवासियों की कुल संख्या के आधार पर आयुक्त (परिवहन), प्रबंध निदेशक (दिपनि) और प्रबंध निदेशक (डीटीटीडीसी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विभिन्न राज्योंध्संघ शासित क्षेत्रों में पूर्व–निर्धारित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में बसें भिजवाने तथा उन्हें वापस लाने की व्यवस्था करेंगे. बसों को सेनिटाइज करना तथा बैठाने के लिए सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ख) जिन राज्यों में दिल्ली के निवासी फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से वापस लाते समय प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त स्क्रीनिंग के बाद उन्हें स्वस्थ पाए जाने पर ही बसों में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

ग) दिल्ली आने पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक चिह्नित स्थलों पर नामित टीमों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की जांच की जाएगी. संबंधित जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जब तक जांच

में ऐसे व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखे जाने की आवश्यकता न हो, उन्हें होम क्वारंटीन किया जाता हो. उनकी आवधिक स्वास्थ्य जांच के साथ–साथ निगरानी रखी जाएगी. इस उद्देश्यार्थ, ऐसे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपने स्वास्थ्य की जानकारी पर नजर रख सकेंगे तथा पता कर सकेंगे. इस संबंध में होम क्वारंटीन लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11.03.2020 के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा, जो https%//www-mohfw-gov-in/pdf/ Guidelinesforhomequarantine-pdf पर उपलब्ध हैं.

इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों आवाजाहियों के लिए सुनिश्चित के जाने वाले सामान्य दिशा–निर्देश

- राज्य के नोडल अधिकारी उन राज्यों के रेजिटेंड कमिशनरों से समन्वय बनाए रखेंगे जहां से नागरिकों को आना अथवा वहां जाना है ताकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या का पता लग सके, उनका डेटाबेस तैयार हो सके, जिससे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.04.2020 के आदेशानुसार, यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके, राज्यों के नोडल अधिकारी दिल्ली राज्य के नोडल अधिकारी की सहायता करेंगे।

- पुलिस आयुक्त, दिल्ली सुनिश्चित करेंगे कि जिला पुलिस उपायुक्त बसों में चढऩे और उतरने वाले स्थलों पर उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती हो तथा फंसे हुए लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती हो, इसके अलावा, सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाता हो. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैरकानूनी तरीके से भीड़ नहीं जुटती हो तथा पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों की अव्यवस्थित आवाजाही न होती हो, इसके अलावा, अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ऐसे स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पिकेट बनाई जानी चाहिए, जहां प्रवासी मजदूर रह रहे हों ताकि लोगों की गैरकानूनी आवाजाही को रोका जा सके।

- दिल्ली के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के नोडल अधिकारी इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ ही साथ दिल्ली सरकार द्वारा जारी समस्त आदेशों/दिशा–निर्देशों/प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।